#### प्रपत्र-23

परियोजना का नाम— भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— रेड्डा तहसील— हल्द्वानी, जिला—नैनीताल।

## आम सभा बैठक प्रमाण प्रत्र।

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अर्न्तगत हल्द्वानी में भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेतु (0.4020 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.4020 है0 वन भूमि का भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......................... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया भी कि सत्य एवं सही है। ग्राम विकास अधिकारी

क्षेत्र....६६५) (नैनीताल)

ग्राम सचिव

ग्राम पचायत खेडा बिं० खे० हरुद्वानी (तंशाराण) ग्राम प्रधान

बन्दन नेगो

प्रधान

## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम— भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

ग्राम पंचायत- सुल्लान नार्ट्। केट्र

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
7	-रान्द्रनिह विहट	
	मह्या - टान	Mahan
(111)	24mm 31ml	SALEGA
(IV)	मह्या महता	neod
V	2012	210121
6	371019	Alam
フ	TARA Simoh	TARA Sing
8	Youch Bus	GAN
9	Ramesh Singh	laude

चन्दन नेगा प्रधान प्राप्त प्रशासन प्रमेड्डाधान विक खिक हल्द्वीती (नैनीतोस)

#### प्रपत्र- 23.2

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतू भवन निर्माण।

## कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र। उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेत् (0.4020 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.4020 है0 वन भूमि) का भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत अनुसचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–हल्द्वानीं) की दिनांक 🕰 6 📭 .... को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरण:–

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मैं/आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सद्स्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री रुग्या विकास उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी, अध्यक्ष।
2- श्री पुरुष्का न्यान अभिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप अभिकारी
3- श्री रुग्य क्षिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, राष्ट्री प्रमुख्य भावित हथानी,

4- श्री ...... की०डी०सी० क्षेत्र, ...... वा स्मदस्याज कल्याण अधिकार

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को, अवगत कराया मुया कि प्रशासनिक कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 0.4020 है0 वन भूमि भारतीय रिटि वैक के पक्ष में हस्तुम्बरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के असीर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्बन्धि से करतीव आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी ......सदस्य होता पंअनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिश्<u>ष</u>म् <sub>०</sub>२०७६ हुंबद्ध लातेस (बन्धी व न) नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पचांयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, हल्द्वानी परिक्षेत्र के अर्न्तगत उक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण हेत् 0.4020 है0 वन भूमि भारतीय स्टेट बैंक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

> लाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- हल्द्वानी. नैनीताल।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

BEIST (SEE

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- हल्द्वानी, नैनीताल।

42

#### प्रपत्र— 23.3

परियोजना का नाम- भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

# जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु 0.4020 है0 वन भूमि प्रस्तावित भारतीय स्टेट बैंक को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।



# Annexure-II Form-II (for projects other than linear projects) Goverment of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No...2

Dated 12717

### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4020** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the Distict Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure 06.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under sation 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

(Full name and oficial se

of the Collector)

**अ**भीताल

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT – NAINAITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under

FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deependra Kumar Chaudhari, I.A.S.

which application claiming rights in 4020 Sq. Meter/area measuring 0.4020 hectares for

the Construction of Administrative Office Building. Forest land under FRA, 2006 of

the following applicant duly processed and recommended by the sub division level

committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission

by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were

found to have been made & hence district level committees recommend the above case

for diversion of land for the said purpose.

Place Name Tal

Dated 1471)

Deputy Commissioner cum chairman
District Level

A Sala